नियम संख्याः ..../२०८२/०८३
कार्यपालिका बाट स्वीकृत मितिः २०८२/०३/०८

# सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८२

**सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका**
**मेहलमुडी, कालीकोट**
**कर्णाली प्रदेश**
**नेपाल।**

**सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका**
**मेहलमुडी, कालीकोट**
**कर्णाली प्रदेश**
**नेपाल**

# स्थानीय तहको आर्थिक ऐन

## सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक

**प्रस्तावनाः**

सान्नी त्रिवेनी गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्ने, स्थनीय कर तथा शुल्क संकलन गर्ने, छुट दिने तथा आय संकलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वान्छनीय भएकोले नेपालको संविधानको धारा २२८ को उपधारा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी संविधानको धारा २२६ को उपधारा (१) बमोजिम, सान्नी त्रिवेणी गाउँसभाले यो अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यन्वयन गर्ने सम्बन्धी ऐन बनाई गाउँसभाले यो ऐन बनाएको छ।

**१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः**

(१) यो ऐनको नाम "**आर्थिक ऐन, २०८२**" रहेको छ।

(२) यो ऐन २०८२ साल श्रावण १ गते देखि सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका क्षेत्रमा लागू हुनेछ।

**२. परिभाषाः विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,-**

(क) **"ऐन"** भन्नाले सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाको 'आर्थिक ऐन, २०८२" सम्झनुपर्छ।

(ख) **"कार्यपालिका"** भन्नाले सान्नी त्रिवेणी कार्यपालिका सम्झनुपर्छ।

(ग) **"गाउँपालिका"** भन्नाले सान्नी त्रिवेणी गाउँपलिका सम्झनुपर्छ।

(घ) **"फर्म"** भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भए वा नभएको जुनसुकै फर्म सम्झनुपर्छ।

(ङ) **"व्यक्ति"** भन्नाले यस ऐन बमोजिम कर तिर्नुपर्ने दायित्व भएको जुनसुकै व्यक्ति सम्झनुपर्छ।

(च) **"सभा"** भन्नाले सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाको सभा सम्झनुपर्छ।

(छ) **"संविधान"** भन्नाले नेपालको संविधानलाई सम्झनुपर्छ।

३. **सम्पति करः** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र **अनूसचि-१** बमोजिम एकिकृत सम्पति कर/घरजग्गा कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ।

४. **भूमि कर (मालपोत)**ः गाउँपालिका क्षेत्रभित्र **अनुसूचि-२** बमोजिम भूमि कर (मालपोत) लगाइने र असूल उपर गरिनेछ

**५. घर वहाल करः** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी पुरै वा आंशिक तवरले वहालमा दिएकोमा **अनसूची-३** वमोजिम घर जग्गा वहाल कर लगाइने र असूल गरिनेछ ।

६. **व्यवसाय करः** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूँजीगत लगानी र आर्थिक कारोवारका आधारमा **अनुसूचि-४** बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ।

७. **जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर:** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऊन, खोटो, जडिबुटी, वनकस, कवाडी माल र प्रचलित कानूनले निषेध गरिएको जीवजन्तु वाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड, सिङ, प्वाँख, छाला जस्ता बस्तुको व्यवसायिक कारोवार गरेवापत **अनुसूचि-५** बमोजिमको कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ।

८. **ट्रेकिङ्ग, कायोकिङ, क्यानोइङ्ग, बन्जी जम्पिङ्ग, जिपफ्लायर र ऱ्याफ्टीङ्ग शुल्क:** गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्र ट्रेकिङ्ग, कायोकिङ, क्यानोइङ्ग, बन्जी जम्पिङ्ग, जिपफ्लायर ऱ्याफ्टीङ्ग सेवा वा व्यवसाय सञ्चालन गरेवापत **अनुसूचि-६** बमोजिमको शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिनेछ।

९. **सेवा शुल्क, दस्तुर:** गाउँपालिकाले निर्माण, सञ्चालन वा व्यवस्थापन गरेका **अनुसूचि -७** मा उल्लिखित स्थानीय पूर्वाधार र उपलब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनसूचीमा व्यवस्था भए अनुसार शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ।

१०. **पर्यटन शुल्क:** गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने पर्यटकहरूबाट **अनुसूचि-८** मा उल्लेखित दरमा पर्यटन शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिनेछ । तर, प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोहि बमोजिम हुनेछ।

११. **कर छुट नहुने:** यस ऐन बमोजिम कर तिर्ने दायित्व भएका व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई कुनै पनि किसिमको कर छुट दिईने छैन।

१२. **दण्ड तथा जरिवाना:** ऐन बमोजिम कर तिर्ने दायित्व भएको करदाताले ऐन बमोजिम कर नतिरेमा र संकलन गरी दाखिला गर्ने दायित्व भएको कर्मचारीले ऐनबमोजिम कर संकलन नगरेमा वा समयमा दाखिला नगरेमा अनुसूची-९ बमोजिम दण्ड जरिवाना हुनेछ।

१३. **कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धी कार्यविधि:** यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धी कार्यविधि गाउँपालिकाले तोके अनुसार हुनेछ । कर तथा शुल्क संकलनका दरहरू ऐन तथा निर्देशिका स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन भएपश्चात स्थानीय तहमा लागु हुनेछ ।

**अनुसूचि-१**

**(दफा: ३ संग सम्बन्धित)**

**एकिकृत सम्पत्ति कर/घर करका दरहरू: (राजस्व शिर्षक नं.: ११३१३)**

| क्र.सं. | करका क्षेत्र/विवरण | दर रू. |
|---|---|---|
| १. | खरले छाना छाएको निजी आवासीय घर | रू. ५० प्रति वर्ष |
| २. | जस्ता/ढुङ्गाले छाना छाएको निजी आवासीय घर | रू. १०० प्रति वर्ष |
| ३. | पर्खाल/पिलर उठाई छाना ढलान गरिएको निजी घर | रू. ५०० प्रति वर्ष |
| ४. | पर्खाल/पिलर उठाई छाना ढलान गरिएको व्यापारिक उद्देश्यका (भाडामा लगाएको) घर | रू. १००० प्रति वर्ष |
| **पुनश्च:** घर कर बापत लाग्ने कर आ.व. २०७४/०७५ देखि लागु भएको मानिनेछ। यो ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि आ.व. २०७४/०७५ देखिको घर कर बुझाउन बाँकी हुन आउने रकम आ.व. २०८२/०८३ को पौष मसान्त सम्म बुझाएमा बाँकी बक्यौता बापत जरिवाना पूरै छुट हुनेछ। | | |

## अनुसूचि - २
## (दफाः ४ संग सम्बन्धित)
## भूमिकर (मालपोत) का दरहरूः (राजस्व शिर्षक नं.: ११३१४)

| क.सं. | करका क्षेत्र/विवरण | दर रू. |
|---|---|---|
| १. | सबै किसिमको भुमिको भुमिकर प्रति वर्ग मिटर | रु. ०.०३ |
| पुनश्चः यो ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि ऐन लागु हुँदाका मिति भन्दा अघिल्ला वर्षहरुको तिर्नुपर्ने करमा जम्मा बाँकी कर आ.व. २०८२/०८३ को पौष मसान्तसम्ममा एकमुष्ट बुझाएमा जरिवाना पुरै छुट हुनेछ। | | |

## अनुसूचि-३
## (दफाः ५ संग सम्बन्धित)
## घरबहाल करका दरहरूः (राजस्व शिर्षक नं.: ११३२१)

| क.सं. | करका क्षेत्र/विवरण | दर रू. |
|---|---|---|
| १. | जुन सकै प्रयोजनको लागि दिइएको घर बहालबापत बहाल दरको जम्मा रकमको प्रति महिना | १० प्रतिशत |

## अनुसूची-४
## (दफाः ६ संग सम्बन्धित)
## व्यावसाय दर्ता र नविकरण शुल्कका दरहरुः (राजस्व शिर्षक नं.: १४२५३)

| क.सं. | करका क्षेत्र/विवरण | दर्ता बापत शुल्क | वार्षिक नविकरण वापत शुल्क | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १. | किराना खुद्रा पसल/फलफूल तरकारी पसल | १००० | ५०० | |
| २. | होटल/ होमस्टे | २००० | १००० | |
| ३. | औषधि पसल | २००० | १००० | |
| ४. | माछामासु पसल | १००० | ५०० | |
| ५. | एग्रोभेट पसल | १००० | ५०० | |
| ६. | स्टेशनरी तथा पुस्तक पसल | १००० | ५०० | |
| ७. | कस्मेटिक पसल | १००० | ५०० | |
| ८. | कपडा/फेन्सी/सिलाई कटाई पसल | १००० | ५०० | |
| ९. | इलेक्ट्रोनिक पसल/ भाँडा पसल | १००० | ५०० | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| १०. | फर्निचर उद्योग | २००० | १००० | |
| ११. | खच्चर ढुवानी सेवा | १००० | ५०० | |
| १२. | फोटो स्टुडियो/ छपाई पसल | १००० | २०० | |
| १३. | कुटानी पिसानि मिल | १००० | २०० | |
| १४. | अल्लो प्रशोधन केन्द्र | १००० | ५०० | |
| १५. | हस्त लेखन भएको व्यानर पसल | २००० | १००० | |
| १६. | वहुउद्देश्यीय तथा एकल सहकरी संस्था | ३००० | १५०० | |
| १७. | जुत्ता सिलाउने पसल | ५०० | २०० | |
| १८. | ज्योतिष सेवा संचालन | ५०० | २०० | |
| १९. | ढुङ्गगा, वालुवा वा पत्थर सप्लाई व्यावसाय | १००० | ५०० | |
| २०. | फलामे आरन व्यावसाय | १००० | ५०० | |
| २१. | अटोमोवाइल मर्मत केन्द्र/ज्यारेज | १००० | ५०० | |
| २२. | "घ" बर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र दर्ता | ७५०० | ५००० | |
| २३. | कृषक समूह/ साना पशुपन्छी फर्म | १००० | ५०० | |
| २४. | व्यक्तिगत फर्म/उद्योग | १००० | ५०० | |
| २५. | सुनचाँदी लगायत बहुमुल्य गहनाको विक्रेता | २००० | १००० | |
| २७. | सामान्य खाजा नास्ता पसल | १००० | ५०० | |
| २८. | औषधीको खुद्रा विक्रेता | १००० | ५०० | |
| २९. | सैलुन/ व्युटि पार्लर/कस्मेटिक पसल | १००० | ५०० | |
| ३०. | जुत्ता चप्पल / कपडा तथा फेन्सि पसल | ५००० | २००० | |
| ३१ | जुत्ता तथा चप्पलको खुद्रा विक्रेता फेन्सी खुद्रा विक्रेता थान कपडो खुद्रा विक्रेता | ३००० | १५०० | |
| ३२ | विजुली पसल/मोवाइल पसल/कम्प्युटर पसल | १५०० | ८०० | |
| ३३ | साना हार्डवेयर पसल | २००० | १००० | |
| ३४ | वित्तीय बैंक संचालन | ३००० | २००० | |
| ३५ | वहुउद्देश्यीय तथा एकल सहकारी संस्था | ३००० | १५०० | |
| ३६ | सवारी साधन / सवारी साधनको पार्टस/ मेसिनरी सामान विक्रि तथा मर्मत | ३००० | २००० | |
| ३७ | लाईट गाडी तथा अन्य सवारी साधन सर्भिसिङ तथा मर्मत | २००० | १००० | |
| ३८ | बाईक मर्मत पसल | १००० | ५०० | |

## अनुसूची- ५
### (दफाः ७ संग सम्बन्धित)
### जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु करका दरहरूः (राजस्व शिर्षक नं.: ११६३२)

| क्र.सं. | करका क्षेत्र/विवरण | दर रू. |
|---|---|---|
| १. | जडिबुटि, वनजन्य अन्य खनिज पदार्थहरु प्रति के.जी. मुल्यको | ५% |
| २. | कवाडी विक्री बापत प्रति के.जी. रु. | १। |
| ३. | वनजन्य काठ(काठको प्रकृति र मुल्य अनुसार) प्रति क्यु. फिट रु | १०। |
| ४. | वनजन्य दाउरा, घाँस, पात संकलन गर्न प्रवेश शुल्क प्रति पटक (गा.पा. भित्रका) | १०। |
| ५. | वनजन्य दाउरा, घाँस, पात संकलन गर्न प्रवेश शुल्क प्रति पटक (गा.पा. बाहिरका) | ५०। |
| ६. | अन्य विशेष बहुमुल्य खनिज पदार्थहरु मुल्यको आधारमा प्रति के. जी. मुल्यको | २०% |

## अनुसूचि-६
### (दफाः ८ सँग सम्बन्धित)
### ट्रेकिङ्ग, कायोकिङ, क्यानोइङ्ग, बन्जी जम्पिङ्ग, जिपफ्लायर र ऱ्याफ्टीङ्ग शुल्कः (राजस्व शिर्षक नं.: १४१९२)

| क्र.सं. | करका क्षेत्र / विवरण | दर रू. |
|---|---|---|
| १. | ट्रेकिङ्ग, कायोकिङ, क्यानोइङ्ग, बन्जी जम्पिङ्ग, जिपफ्लायर र याफ्टीङ्गमा जाने नेपाली नागरिकको प्रति व्यक्ति प्रति पटक प्रवेश शुल्क | १०००। |
| २. | ट्रेकिङ्ग, कायोकिङ, क्यानोइङ्ग, बन्जी जम्पिङ्ग, जिपफ्लायर र याफ्टीङ्गमा जाने विदेशी नागरिकको प्रति व्यक्ति प्रति पटक प्रवेश शुल्क | ३०००। |
| ३. | ट्रेकिङ्ग, कायोकिङ, क्यानोइङ्ग, बन्जी जम्पिङ्ग, जिपफ्लायर र याफ्टीङ्गमा जाने नेपाली तथा विदेशी नागरिकको भरियाको प्रति व्यक्ति प्रति पटक प्रवेश शुल्क | ३००। |

**अनुसूचि- ७**
**(दफाः ९ सँग सम्बन्धित)**
**सेवा शुल्क, दस्तुरः**

| **क्र.सं.** | **करका क्षेत्र / विवरण** | **दर रू.** |
|---|---|---|
| **१.** | **सिफारिस दस्तुर (राजस्व शिर्षक नं.: १४२४३)** | |
| १.१ | घर जग्गा नामसारी सिफारिस | २०० |
| १.२ | मोही लगत कट्टा सिफारिस | १०० |
| १.३ | घर कायम सिफारीस | ५०० |
| १.४ | सर्जमिन सिफारिस | १०० |
| १.५ | छात्रवृत्ती सिफारिस | १०० |
| १.६ | विपन्न असहाय सिफारिस (स्वास्थ्य संग संबन्धित) | निशुल्क |
| १.७ | पिछडिएको क्षेत्र सिफारिस | १०० |
| १.८ | अपाङ्गताको सिफारिस | निशुल्क |
| १.९ | अस्थायी बसोबास सिफारिस | १०० |
| १.१० | स्थायी बसोबास सिफारिस | २०० |
| १.११ | नागरिकताको सिफारिस वंशज / वैवाहिक अंगिकृत सिफारिस | १००/५०० |
| १.१२ | धारा/ विद्युत् जडान सिफारिस | १०० |
| १.१३ | जिवित रहेको सिफारिस | १०० |
| १.१४ | दुवै नाम, थर गरेको ब्यक्ती एकै हो भन्ने वा जन्म मिति संशोधन सिफारिस | १०० |
| १.१५ | व्यवसाय वन्द सिफारीस | २०० |
| १.१६ | कोर्ट फि मिनाहा सिफारिस | निशुल्क |
| १.१७ | नावालक परिचय पत्र सिफारिस | १०० |
| १.१८ | उद्योग ठाउँसारी सिफारिस | १००० |
| १.१९ | जग्गा दर्ता सिफारिस | १०० |
| १.२० | संरक्षक सिफारिस | १०० |
| १.२१ | नेपाल सरकारको नाममा बाटो कायम भएको सिफारिस | १०० |
| १.२२ | स्वास्थ्य उपचारको सिफारिस | निशुल्क |
| १.२३ | संस्था दर्ता सिफारिस | ५०० |
| १.२४ | जग्गा धनि पुर्जा हराएको सिफारिस | १०० |

| | | |
|---|---|---|
| १.२५ | बैंक खाता संचालन/बन्द सिफारिस | १०० |
| १.२६ | जिवित संगको नाता प्रमाणित सिफारिस | १०० |
| १.२७ | मृतक संगको नाता प्रमाणित सिफारिस | १०० |
| १.२८ | आर्थिक सम्पन्नताको सिफारिस | ५०० |
| १.२९ | विपन्न सिफारिस/प्रमाणित (अन्य प्रयोजन) | १०० |
| १.३० | जग्गा मुल्याङ्कन प्रमाणित सिफारिस | ५०० |
| १.३१ | हकवाला वा हकदार सिफारिस | १०० |
| १.३२ | घर नक्सापास सिफारिस दस्तुर | ५०० |
| १.३३ | घर जग्गा विक्री सिफारिस | १०० |
| १.३४ | आन्तरिक बसाईसराई सिफारिस | १०० |
| १.३५ | सडक खन्ने सिफारिस | ५०० |
| १.३६ | योजना संम्झौता सिफारिस | ५०० |
| १.३७ | खाता संचालन सिफारिस | १०० |
| १.३८ | मुहान दर्ता सिफारिस | १०० |
| १.३९ | नागरिकता प्रतिलिपी सिफारिस | २०० |
| १.४० | अन्य सिफारिस/प्रमाणित | १०० |
| १.४१ | नाता प्रमाणित दस्तुर | २०० |
| १.४२ | नाता प्रमाणित दस्तुर (बिदेश जानेको हकमा अंग्रेजिमा) | ५०० |
| १.४३ | उपाङ्ग परिचय-पत्र (स्मार्ट कार्ड) | १०० |
| १.४४ | योजना माग सिफारिस २० लाख सम्मको | ३०० |
| १.४५ | योजना माग सिफारिस २० लाख भन्दा माथी | ५०० |
| २. | **व्यक्तिगत घट्ना दर्ता/प्रतिलिपी दस्तुर (राजस्व शिर्षक नं.: १४२४४)** | |
| २.१ | घट्ना दर्ता (जन्म, बिवाह, बसाईसराई, सम्बन्धबिच्छेद, मृत्यु) प्रमाणपत्र | २०० |
| २.२ | घट्ना दर्ता (जन्म, बिवाह, बसाईसराई, सम्बन्धबिच्छेद, मृत्यु) प्रतिलिपी | ५०० |
| ३. | **अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्कः (राजस्व शिर्षक नं.: १४२२९)** | |
| ३.१ | जन्ममिति प्रमाणित | १०० |
| ३.२ | घरबाटो प्रमाणित | १०० |
| ३.३ | विवाह दर्ता प्रमाणित/अबिबाहित प्रमाणित | १०० |
| ३.४ | घर पाताल प्रमाणित | १०० |

| | | |
|---|---|---|
| ३.५ | कागज मन्जुरिनामा | १०० |
| ३.६ | अपुताली प्रमाणित | १०० |
| ३.७ | नक्सापास निवेदन वा फाराम दस्तुर | १०० |
| ३.८ | खानेपानी मुहान दर्ता | ५०० |
| ३.९ | सरकारी घर, हल, कोठा प्रयोग गर्न दिए बापत सेवा शुल्क प्रति दिन/प्रति कार्यक्रम | १००० |
| ३.१० | **घर नक्सा पास इजाजतपत्र दस्तुर (राजस्व शिर्षक नं.: १४२४२)** | |
| | १००० वर्गफिट सम्म क्षेत्रफल भएको घरको एकमुष्ट | ४००० |
| | १००० वर्गफिट भन्दा बढी क्षेत्रफल भएको घरको प्रति बर्गफिट रु. | ४ |
| ४. | **कृषि विकास शाखाबाट प्रदान गरिने सेवाको सेवाशुल्क/दस्तुरः** | |
| ४.१ | **खाध्यन्न निकासी/ढुवानी सम्बन्धी सिफारिस दस्तुरः (राजस्व शिर्षक नं.: १४२४३)** | |
| | १ क्वीन्टल सम्मको खाद्यन्नमा | १०० |
| | १ क्वीन्टल भन्दा बढि १० क्वीन्टल सम्मको खाद्यन्नमा | २०० |
| | १० क्वीन्टल भन्दा बढि २० क्वीन्टल सम्मको खाद्यन्नमा | ५०० |
| | २० क्वीन्टल भन्दा बढि ५० क्वीन्टल सम्मको खाद्यन्नमा | १००० |
| | ५० क्वीन्टल भन्दा बढि १०० क्वीन्टल सम्मको खाद्यन्नमा | २००० |

| | | |
|---|---|---|
| ४.२. | **तरकारी निकासी/ढुवानी सम्बन्धी सिफारिसः (राजस्व शिर्षक नं.: १४२४३)** | |
| | १ क्वीन्टल सम्मको खाद्यन्नमा | १५० |
| | १ क्वीन्टल भन्दा बढि १० क्वीन्टल सम्मको तरकारीमा | ३०० |
| | १० क्वीन्टल भन्दा बढि २० क्वीन्टल सम्मको तरकारीमा | ७५० |
| | २० क्वीन्टल भन्दा बढि ५० क्वीन्टल सम्मको तरकारीमा | १५०० |
| | ५० क्वीन्टल भन्दा बढि १०० क्वीन्टल सम्मको तरकारीमा | ३००० |
| ४.३ | **कृषि सम्बन्धी अन्य सामान्य सिफारिस (राजस्व शिर्षक नं.: १४२४३)** | **१००** |
| **५.** | **पशुपन्छी विकास शाखाबाट प्रदान गरिने सेवाको सेवाशुल्क/दस्तुरः** | |
| **५.१** | **निकासी/ढुवानी सिफारिस दस्तुरः (राजस्व शिर्षक नं.: १४२४३)** | |
| | पन्छी (कुखुरा आदि) निकासी सिफारिस प्रतिजिउ रु. | ५ |
| | साना जिउका पशु चौपाया (भेडा, बाख्रा, बंगुर) निकासी सिफारिस प्रतिजिउ रु. | २० |
| | ठुला जिउका पशु चौपाया (गाई, भैसी, घोडा, खच्चर) लगायत कुकुर, विराला निकासी सिफारिस प्रतिजिउ रु. | ५० |
| **५.२** | **चेकाजाँज र परामर्श सेवाको पर्चा शुल्कः (राजस्व शिर्षक नं.: १४२२९)** | |
| | कुखुरा लगायतका पन्छीहरुको रु. | १० |
| | साना जिउका पशु चौपाया (भेडा, बाख्रा, बंगुर) को रु. | १० |
| | ठुला जिउका पशु चौपाया (गाई, भैसी, घोडा, खच्चर) लगायत कुकुर, विरालाको रु. | २० |
| **५.३** | **पशु बन्ध्याकरण सेवा शुल्कः (राजस्व शिर्षक नं.: १४२२९)** | |
| | साना जिउका पशु चौपाया चौपाया (भेडा, बाख्रा, बंगुर) को प्रतिजिउ रु. | २५ |
| | ठुला जिउका पशु चौपाया (बहर, रागा) प्रतिजिउ रु. | ५० |
| | घोडा र कुकुरको प्रतिजिउ रु. | १०० |
| **५.४** | **पशुपन्छी सम्बन्धी अन्य सामान्य सिफारिस** | **१००** |
| ६. | **न्यायिक समितिबाट प्रदान गरिने सेवामा लाग्ने न्यायिक सेवा शुल्क/दस्तुरः (राजस्व शिर्षक नं.: १४२२१)** | |
| **६.१** | उजुरी दर्ता (निवेदन) दस्तुर | १०० |
| **६.२** | प्रतिउत्तर दस्तुर | १०० |
| **६.३** | मिलापत्र गराएबापत दुबै पक्षबाट लिइने मिलापत्र दस्तुर | २५० |

| | | |
|---|---|---|
| ७. | **गाउँपालिका अन्तर्गतका पदमा पदपूर्तिका लागि संचालन हुने विभिन्न प्रतिस्पर्धात्क परिक्षाको परिक्षा शुल्कः (राजस्व शिर्षक नं.: १४२२४)** | |
| ७.१ | अधिकृत स्तरका पदहरू | १००० |
| ७.२ | सहायकस्तर पाँचौं तहका पदहरू | ७०० |
| ७.३ | सहायकस्तर चौथो तहका पदहरु | ५०० |
| ७.३ | श्रेणीविहिन सहयोगी पदहरू | ३०० |
| ८. | **दहत्तर बहत्तर शुल्कका दरहरूः (राजस्व शिर्षक नं.: ३३३६६)** | |
| ८.१ | गिट्टी, वालुवा, ढुङ्गा, माटो प्रति ट्याक्टर बापत | ५०० |
| ८.२ | गिट्टी, वालुवा, ढुङ्गा, माटो प्रति टिप्पर बापत | १००० |
| ९. | आयस्रोत प्रमाणित (बिद्यार्थी प्रयोजन) | |
| ९.१ | १० लाख सम्म | ५०० |
| ९.२ | २० लाख सम्म | १००० |
| ९.३ | २० लाख भन्दा माथी | २००० |
| १०. | आयस्रोत प्रमाणित (बिद्यार्थी बाहेक) | |
| १०.१ | १० लाख सम्म | १००० |
| १०.२ | २० लाख सम्म | २००० |
| १०.३ | २० लाख भन्दा माथी | ५००० |
| ११. | घर जग्गा मुल्याङ्कन (बिद्यार्थी प्रयोजन) | |
| ११.१ | २५ लाख सम्म | ५०० |
| ११.२ | ५० लाख सम्म | १००० |
| ११.३ | ५० लाख भन्दा माथी | २००० |
| १२. | घर जग्गा मुल्याङ्कन (बिद्यार्थी बाहेक) | |
| १२.१ | २५ लाख सम्म | १००० |
| १२.२ | ५० लाख सम्म | २००० |
| १२.३ | ५० लाख भन्दा माथी | २००० |
| १३. | एम्बुलेन्स सेवा शुल्क | |
| १३.१ | रकु देखी जितेगडा | २००० |

| | | |
|---|---|---|
| १३.२ | रकु देखी मान्म | ५००० |
| १३.३ | रकु देखी जुम्ला | १०००० |
| १३.४ | रकु देखी सुर्खेत | १४००० |
| १३.५ | रकु देखी नेपालगञ्ज | १६००० |
| १३.६ | मेहलमुडी देखी जितेगडा | ४००० |
| १३.७ | मेहलमुडी देखी मान्म | ८००० |
| १३.८ | मेहलमुडी देखी जुम्ला | १४००० |
| १३.९ | मेहलमुडी देखी सुर्खेत | १६००० |
| १३.१० | मेहलमुडी देखी नेपालगञ्ज | १८००० |
| १३.११ | मुम्रा देखी जितेगडा | ५००० |
| १३.१२ | मुम्रा देखी मान्म | ९००० |
| १३.१३ | मुम्रा देखी जुम्ला | १५००० |
| १३.१४ | मुम्रा देखी सुर्खेत | १७००० |
| १३.१५ | मुम्रा देखी नेपालगञ्ज | १९००० |
| १४. | योजना कार्य सम्पन्न शुल्क | |
| १४.१ | १ लाख सम्मको योजनाको लागी | ५००।- |
| १४.२ | ५ लाख सम्मको योजनाको लागी | १५००।- |
| १४.३ | १० लाख सम्मको योजनाको लागी | २५००।- |
| १४.४ | २० लाख सम्मको योजनाको लागी | ३५००।- |
| १४.५ | ४० लाख सम्मको योजनाको लागी | ५०००।- |
| १४.६ | ८० लाख सम्मको योजनाको लागी | ७५००।- |
| १४.७ | १ करोड सम्मको योजनाको लागी | १००००।- |
| १४.८ | १ करोड भन्दा माथी सबै किसिमको योजनाको हकमा ०.१% का दरले | ०.१% |
| १५. | अमिन सेवा शुल्क | |
| १५.१ | १ रोपनि सम्म | १००० |
| १५.२ | २ देखी १० रोपनि सम्म | २५०० |
| १५.३ | १० रोपनि भन्दा माथी | ४००० |

| १६. | बिज्ञापन शुल्क | मुख्य समय रकम रु | अन्य समय रकम रु |
|---|---|---|---|
| १६.१ | सूचना प्रशारण गरे वापत प्रति दिनका दरले | १५० | १०० |
| १६.२ | मासिक रुपमा सूचना तथा बिज्ञापन प्रशारण गरे वापत २०% छुट | ४५०० | ३००० |
| १६.३ | ३ महिना सूचना तथा बिज्ञापन प्रशारण गरे वापत ३०% छुट | १३५०० | ९००० |
| १६.४ | ६ महिना सूचना तथा बिज्ञापन प्रशारण गरे वापत ४०% छुट | २७००० | १८००० |
| १६.५ | बार्षिक रुपमा सूचना तथा बिज्ञापन प्रशारण गरे वापत ५०% छुट | ५४००० | ३६००० |
| १६.६ | टाईमचेकमा बिज्ञापन प्रशारण गरे वापत | रकम रु | |
| क) | १ महिनामा १५ पटकका दरले | ३००० | |
| ख) | ३ महिनामा १५ पटकका दरले | ७५०० | |
| ग) | ६ महिनामा १५ पटकका दरले | १५००० | |
| घ) | १२ महिनामा १५ पटकका दरले | २४००० | |

## अनुसूचि- ८
### (दफाः १० सँग सम्बन्धित)
### पर्यटन शुल्कः (राजस्व शिर्षक नं.: १४१९१)

| क्र.सं. | करका क्षेत्र / विवरण | दर रू. |
|---|---|---|
| १. | ७ दिन सम्मको लागि पर्यटक नेपाली नागरिकको प्रति व्यक्ति प्रति पटक प्रवेश शुल्क | ५०० |
| २. | ७ दिन भन्दा बढि दिनको लागि पर्यटक नेपाली नागरिकको प्रति व्यक्ति प्रति पटक प्रवेश शुल्क | १००० |
| ३. | ७ दिन सम्मको लागि पर्यटक विदेशी नागरिकको प्रति व्यक्तिप्रति पटक प्रवेश शुल्क | ३००० |
| ४. | ७ दिन भन्दा बढि दिनको लागि पर्यटक विदेशी नागरिकको प्रतिव्यक्ति प्रति पटक प्रवेश शुल्क | ५००० |
| ५. | पर्यटक नेपाली तथा विदेशी नागरिकको भरियाको प्रति व्यक्ति प्रति पटक प्रवेश शुल्क बापत | ३०० |

**अनुसूची- ९**

**(दफाः १२ संग संबन्धित)**

**दण्ड जरिवानाः राजस्व शिर्षक नं.: १४३१२**

**(क) करदातालाई दण्ड/जरिवाना**

**यो ऐनबमोजिम सम्पत्ति कर र भूमिकर तिर्नुपर्ने दायित्व भएका करदाताले कुनै आर्थिक वर्षको कर सोही आर्थिक वर्षभित्र तिर्न/बुझाउनु पर्नेछ। अन्यथा भएमा देहायबमोजिम दण्ड जरिवाना हुनेछ।**

| क्र.सं. | व्यहोरा | दण्ड जरिवाना |
|---|---|---|
| १. | १ वर्ष ढिलाई भएकोमा | जम्मा कर रकमको ५% |
| २. | २ वर्ष ढिलाई भएकोमा | जम्मा कर रकमको १०% |
| ३. | ३ वर्ष ढिलाई भएकोमा | जम्मा कर रकमको १५% |
| ४. | ४ वर्ष ढिलाई भएकोमा | जम्मा कर रकमको २०% |
| ५. | ५ वर्ष ढिलाई भएकोमा | जम्मा कर रकमको २५% |
| ६. | ५ वर्ष भन्दा वढि ढिलाई गरेकोमा | जम्मा तिर्नुपर्ने करको एकमुष्ट रकमको ३५% |
| **पूनश्चः** ऐन बमोजिमको सम्पत्ति कर र भूमिकर सोही वर्ष नबुझाई लगत्तैको अर्को वर्ष बुझाउन आएमा १ वर्ष ढिला भएको मानिनेछ। | | |

**(ख) संकलनकर्तालाई दण्ड जरिवानाः**

**यो ऐन बमोजिम प्रत्येक महिना संकलन हुने राजस्वको रकम ढिलोमा अर्को महिनाको ७ गतेभित्र अनिवार्य बैंक दाखिला गर्नुपर्नेछ। अन्यथा भएमा देहाय बमोजिम डण्ड जरिवाना हुनेछ।**

| क्र.सं. | व्यहोरा | दण्ड जरिवाना |
|---|---|---|
| १. | १ महिना ढिलाई भएकोमा | जम्मा कर रकमको १०% |
| २. | २ महिना ढिलाई भएकोमा | जम्मा कर रकमको २०% |
| ३. | ३ महिना ढिलाई भएकोमा | जम्मा कर रकमको ३०% |
| ४. | ४ महिना ढिलाई भएकोमा | जम्मा कर रकमको ४०% |
| ५. | ५ महिना ढिलाई भएकोमा | जम्मा कर रकमको ६०% |
| ६. | ५ महिना भन्दा वढि ढिलाई भएकोमा | जम्मा करको एकमुष्ट रकमको १००% |
| **पूनश्चः** ऐनबमोजिम कुनै महिनामा संकलित राजस्व ढिलोमा लगत्तैको अर्को महिनाको ७ गतेभित्र दाखिला नभएमा १ महिना ढिला भएको मानिनेछ। | | |

**(ग) गाउँपालिकाको नियम तथा निर्देशन पालना नगरेमा वा अटेर गरेमा दण्ड जरिवानाः**

| क्र.सं. | व्यहोरा | दण्ड जरिवाना |
|---|---|---|
| १. | प्रथम पटकलाई | ५००।- |
| २. | दोस्रो पटकलाई | २५००।- |
| ३. | तेस्रो पटक वा सो भन्दा माथी | ५०००।- |
| ४. | नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा ओसारपोसार सम्बन्धमा | |
| ४.१ | अनुमति बिना नदिजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने उदेश्यले घाटमा प्रवेश गरी नदिजन्य पदार्थ उतखन्न गरेमा प्रति व्यक्तिको हकमा | १०००।- |
| ४.२ | अनुमति बिना नदिजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने उदेश्यले घाटमा प्रवेश गरेको प्रति सवारी साधन | ५०००।- |
| ४.३ | अनुमति बिना नदि/खोला घाटमा प्रवेश गरी नदिजन्य पदार्थ उतखन्न गरेमा प्रति सवारी साधन | १००००।- |
| ४.४ | तोकिएको स्थान बाहेक अन्यत्रबाट नदिजन्य पदार्थ उत्खनन गरेमा अनुमति लिएको भय समेत | १००००।- |
| ५. | सडक किनार तथा छेउछाउमा रहेका सरकारी जग्गामा ढुङ्गा, गिट्टि, बालुवा उतखनन् गरेमा | |
| ५.१ | प्रति व्यक्ति | १०००।- |
| ५.२ | प्रति सवारी साधन | ५०००।- |

पूनश्चः ऐनबमोजिम अनुसूची- ९ (दफाः १२ संग संबन्धित) ग को क्र.सं ४ र ५ मा व्यवस्था भएको जरिवाना असुल गर्दा जरिवाना रकमको २०% रकम जरिवाना असुल गर्दा खटिने स्थायी/अस्थायी/करार तथा ज्यालादरी कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीलाई दामासाहिले प्रोत्साहन स्वरुप दिईनेछ।

निषकर्षः राजश्व संकलनमा मुख्यता कर राजश्व र गैर कर राजश्व पर्दछन। कर संकलन गर्दा स्थानीय तहले सबै प्रकारको कर लिन सक्दैन। नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार क्षेत्र भित्रको आर्थिक अधिकारको अधिनमा र संविधान बमोजिम तर्जुमा गरिएको स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ द्वारा पद्धत आर्थिक अधिकारका आधारमा मात्र आर्थिक ऐन बनाई स्थानीय तहले कर लगाउने वा उठाउन सक्दछ। उक्त उल्लेखित करका आधारमा उपयोग गर्दै गाउँपालिकालाई सम्बृद्ध एंवम आत्म निर्भर बनाउन राजस्वका सबै सम्भावना र क्षेत्रहरुको खोजी गरि प्रगतिशिल कर र समतामूलक ढङ्गले करका दरहरु निर्धारण गर्नु बवश्यक देखिन्छ।

- कर असुलीमा हुन सक्ने अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्न राजश्व प्रणालीको SuTRA सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने।
- कर्मचारीहरलाई राजश्व परामर्श सम्बन्धी क्षमता बिकासका लागि उचित तालिमको व्यवस्थापन गर्ने।
- कर संकलनलाई सेवा प्रवाह संग आवद्व गर्ने र वडा कार्यालयको क्षमता विकास गर्ने ।
- आम नागरिकलाई कर तिर्ने बानीको बिकास गर्न पालिकाको सम्बृद्धिका लागि करको महत्व बिषयक सचेतनामुलक कार्यक्रम प्रभावकरी रुपमा संचालन गर्ने ।
- नेपालको संबिधान र स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरि गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्र करका सम्भाव्यता अध्ययन गरि करको दायरा फराकिलो बनाउने ।
- राजस्व परामर्श समितिको क्षमता अभिबृद्धि कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
- राजस्व छलि र चुहावट नियन्त्रण गर्न नियमित अनुगमन गर्ने ।

<u>स्थानीय राजश्व परामर्श समितिः</u>
संयोजकः श्री पार्वती सिहं (संज्याल)
सदस्यः श्री प्रेम बहादुर बडुवाल (प्र.प्र.अ)
सदस्यः श्री नरपति तिरुवा
सदस्यः श्री गोमा सिमखाडा
सदस्यः श्री गौरी संज्याल
सदस्यः श्री पंख बटाला
सदस्य सचिवः श्री दिपेश महतो